

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0-04 / विविध-06-50 / 2021-242(4B) पटना, दिनांक:- 23/02/2026
राष्ट्रीय सहबद्ध एवं
स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 68 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार
के राज्यपाल, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाते हैं, अर्थात:-

अध्याय-1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) यह नियमावली "बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. परिभाषाएँ :- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का केंद्रीय अधिनियम 14);
(ख) "सलाहकार बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर गठित व्यावसायिक सलाहकार बोर्ड;
(ग) "सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान" से अभिप्रेत है वह शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान जो इस नियम के अंतर्गत किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति में डिप्लोमा या स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री या कोई अन्य पोस्ट डिग्री प्रदान करता हो।
(घ) "सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल योग्यता" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत नियमित शिक्षण माध्यम से किसी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या उसके बाद प्राप्त कोई अतिरिक्त मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम।
(ङ) "सहबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर" से अभिप्रेत है एक सहयोगी, तकनीशियन या प्रौद्योगिकीविद्, जो बीमारी, रोग, चोट या विकलांगता के निदान और उपचार में सहयोग करने और किसी भी तकनीकी और व्यावहारिक कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित हो, और किसी चिकित्सा, नर्सिंग या किसी अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अनुशंसित किसी भी स्वास्थ्य देखभाल उपचार और रेफरल योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित हो, और जिसने इस अधिनियम के तहत डिप्लोमा या डिग्री की कोई योग्यता प्राप्त की हो, जिसकी अवधि दो हजार घंटे से कम नहीं हो, जो दो साल से चार साल की अवधि में विशिष्ट सेमेस्टर में विभाजित हो।
(च) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद का अध्यक्ष।
(छ) "स्वायत्त बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 29 के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित स्वायत्त बोर्ड;
(ज) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद का अध्यक्ष;
(झ) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग;
(ञ) "शुल्क" से अभिप्रेत है अधिनियम या इन नियमों के अंतर्गत शुल्क के रूप में देय कोई राशि;
(ट) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र;
(ठ) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

शुभ
28/4/26

- (ड) "स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर" से अभिप्रेत है एक वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य पेशेवर जो निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, चिकित्सीय या प्रचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन, सलाह, अनुसंधान, पर्यवेक्षण या प्रदान करता हो और जिसने इस अधिनियम के तहत कोई योग्यता या डिग्री प्राप्त की हो, जिसकी अवधि तीन साल से छह साल की अवधि में तीन हजार छह सौ घंटे से कम नहीं हो, जो विशिष्ट सेमेस्टर में विभाजित हो;
- (ढ) "सदस्य" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ई) या (एफ) के अधीन सरकार द्वारा नामित राज्य परिषद का सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
- (ण) "निर्धारित" से अभिप्रेत है अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
- (त) "मान्यता प्राप्त श्रेणियाँ" से अभिप्रेत है अनुसूची में निर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की श्रेणी;
- (थ) "विनियम" से तात्पर्य बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद द्वारा बनाये गए विनियम;
- (द) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली; 2025.
- (ध) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची;
- (न) "सचिव" से अभिप्रेत है राज्य परिषद का सचिव;
- (प) "राज्य परिषद" या "परिषद" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद;
- (फ) "राज्य रजिस्टर" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 32 के तहत बनाए गए राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का रजिस्टर।
- (ब) "कार्य स्थानांतरण" से अभिप्रेत है वह प्रक्रिया जिसके तहत विशिष्ट कार्यों को, जहां उपयुक्त हो, उन कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को स्थानांतरित किया जाता है, ताकि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य कार्यबल को कुशलतापूर्वक पुनर्गठित किया जा सके।
- (भ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत परिभाषित विश्वविद्यालय, इसमें उस अधिनियम की धारा 3 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित संस्थान भी शामिल है।
- (2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

अध्याय-2 : परिषद

3. राज्य परिषद का गठन एवं संरचना :- (1) एक परिषद होगी जिसे "बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद" के नाम से जाना जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिनियम की धारा 22 के अधीन विनिर्दिष्ट सदस्य शामिल होंगे।
- (2) राज्य परिषद पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी, तथा उसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उसी नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।
- (3) राज्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-
- (क) उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त श्रेणी के सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान के किसी भी पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री हो और सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम दस वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के क्षेत्र में अग्रणी रूप में हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष;

- (ख) राज्य सरकार में चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक - पदेन सदस्य;
- (ग) राज्य सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज से डीन या विभागाध्यक्ष के पद से अन्यून के दो व्यक्ति - पदेन सदस्य;
- (घ) इस नियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित स्वायत्त बोर्डों का अध्यक्ष - पदेन सदस्य;
- (ङ) अनुसूची में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ऐसी योग्यताएं और अनुभव धारित करते हों जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं-सदस्य; और
- (च) किसी मान्यताप्राप्त श्रेणी से संबंधित शिक्षा या सेवाओं में लगे धर्मार्थ संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, जिनके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं - सदस्य।

4. राज्य परिषद के मनोनीत सदस्य की योग्यताएं और अनुभव :-

- (1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नामित राज्य परिषद के सदस्य की योग्यताएं और अनुभव निम्नानुसार होंगे, अर्थातरू -
- (i) कोई व्यक्ति जो पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की संबंधित मान्यता प्राप्त श्रेणी में तीन वर्ष से कम का अनुभव नहीं रखता हो, उसे राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है;
- (ii) इस प्रकार नामित व्यक्ति के पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी भी पेशे में स्नातक डिग्री;
- (iii) इस प्रकार नामित व्यक्ति को राज्य परिषद् में अपना पंजीकरण कराना होगा।
- (2) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन नामित राज्य परिषद के सदस्य की योग्यताएं और अनुभव निम्नानुसार होंगे, अर्थात :-
- (i) कोई व्यक्ति जो पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और अधिनियम से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मान्यता प्राप्त श्रेणी से संबंधित शिक्षा या सेवाओं में लगे धर्मार्थ संस्थानों में तीन वर्ष का अनुभव रखता है, उसे राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है;
- (ii) इस प्रकार नामित व्यक्ति के पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी भी पेशे में स्नातक डिग्री भी हो;
- परन्तु, किसी भी धर्मार्थ संस्था का प्रतिनिधित्व राज्य परिषद में एक समय में एक से अधिक नामित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा।
- (3) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और (च) के तहत परिषद के सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति उत्कृष्ट योग्यता, प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा।
- (4) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो और कारावास की सजा दी गई हो, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, राज्य परिषद के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।
- (5) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निकाय या निगम की सेवा से हटाया गया या बर्खास्त किया गया कोई भी व्यक्ति राज्य परिषद के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।
- (6) राज्य परिषद के अध्यक्ष और सदस्य, प्रथम नियुक्ति से लेकर पद छोड़ने तक, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रचलित नियमों, आदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण दाखिल करेंगे।

Sharma
28/4/26

(7) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा, जिसे अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (5) के अनुसार सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड द्वारा दोषी ठहराया गया हो।

5. अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की नियम एवं शर्तें :- (1) अध्यक्ष, जब तक कि वह पद त्याग नहीं देता या अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत पद से हटा नहीं दिया जाता, वह अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा।

(2) यदि अध्यक्ष बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो सरकार अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के खंड (ड) या (च) के तहत राज्य परिषद में नामित किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगी और इस प्रकार नामित सदस्य अध्यक्ष के रूप में तब तक पद धारण करेगा जब तक कि अध्यक्ष पद पर वापस नहीं आ जाता या उसके कार्यकाल की शेष अवधि तक।

(3) अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को सरकार द्वारा ऐसी रिक्ति होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर भरा जाएगा।

(4) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई सदस्य, उस सेवा की समाप्ति पर राज्य परिषद का सदस्य नहीं रह जाएगा जिसके आधार पर उसे राज्य परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था।

6. सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना - (1) अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य परिषद का अध्यक्ष और अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ड) और (च) के अधीन नामित सदस्य, -

(i) राज्य सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ii) अपने पद से हटा दिया जाएगा यदि वह-

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता है; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर हानिकारक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो।

(2) किसी भी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

7. अध्यक्ष और सदस्यों को मानदेय, यात्रा और अन्य भत्त :- (1) अध्यक्ष को एक निश्चित मानदेय और भत्ते प्राप्त होंगे, जो कि सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा और वह सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते के लिए भी पात्र होंगे।

(2) राज्य परिषद के सदस्य को सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(3) यदि अध्यक्ष या सदस्य केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है तो उसका वेतन समय-समय पर उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

8. छुट्टी :-अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य सरकारी नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।

9. अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी :- (1) सरकार, अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

- (2) अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य और सचिव को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (3) सचिव, राज्य परिषद के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
10. **परिवहन की सुविधा** :-अध्यक्ष को कार्यालय प्रयोजन हेतु यात्रा के लिए समय-समय पर जारी नियमों या सरकारी आदेशों के अनुसार कार्यालय वाहन उपलब्ध कराया जा सकता है। राज्य परिषद के सदस्यों को, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों या आदेशों के अनुसार, आधिकारिक उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा के लिए कार्यालय वाहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
11. **चिकित्सा उपचार की सुविधा** :-अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर जारी की जाने वाली चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे।
12. **सचिव** :- (1) परिषद का सचिव बिहार सचिवालय में सरकार के उप सचिव के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, जिसे स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने का वर्तमान या पूर्व अनुभव हो।
- (2) सचिव उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और निष्ठा वाला व्यक्ति होगा। उसके पास कम से कम पाँच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी होगा।
- (3) सचिव की नियुक्ति राज्य परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अधीन उपनियम (1) के अधिकारियों की श्रेणी से सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।
- (4) सचिव का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें सरकारी सेवा के अंतर्गत समय-समय पर उन पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और सेवानिवृत्ति तक उनका कार्यकाल प्रचलित नियमों के अनुसार वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जाएगा।
- (5) सचिव, राज्य परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते, समय-समय पर जारी किए गए सरकार के नियमों या आदेशों के अनुसार कार्यालय वाहन का हकदार होगा।
- (6) परिषद का सचिव, पद छोड़ने के समय तक, सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण दाखिल करेगा।
13. **सचिव की शक्तियाँ एवं कर्तव्य** :- (1) सचिव राज्य परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह कार्यालय का प्रमुख भी होगा। न्यायालय के समक्ष मुकदमों सहित सभी कानूनी कार्यवाहियों में, राज्य परिषद का प्रतिनिधित्व सचिव द्वारा किया जाएगा। सचिव राज्य परिषद की संपत्ति की सुरक्षा और अभिरक्षा, परिषद के नियंत्रण और प्रबंधन, लेखा-जोखा के रखरखाव और पत्राचार सहित सभी प्रशासनिक मामलों के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- (2) **सचिव** :-
- (i) को अधिनियम के अधीन राज्य परिषद की शक्तियों और कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को निष्पादित करने की शक्ति होगी;
- (ii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राज्य परिषद के कार्यों के उचित प्रशासन और उसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए अपेक्षित हों;
- (iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद के कर्मचारी समय पर उपस्थित हों और सामान्यतः ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य परिषद द्वारा उनसे अपेक्षित हों;
- (iv) किसी विद्यमान नामांकन या नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से कम से कम नब्बे दिन पूर्व, अध्यक्ष का ध्यान आने वाली रिक्तियों की ओर आकर्षित करेंगे और अध्यक्ष तत्काल इसकी सूचना राज्य परिषद को देगा ताकि नया नामांकन या नियुक्ति उस दिन से प्रभावी हो सके जिस दिन विद्यमान नामांकन या नियुक्ति समाप्त होगी;

Shrestha
28/1/24

- (v) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य परिषद की बैठकें बुलाना तथा सभी संबंधितों को बैठकों की सूचना देना;
- (vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि राज्य परिषद की बैठक में आवश्यक कोरम सुनिश्चित हो;
- (vii) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे तथा अध्यक्ष और सदस्यों को आत्मभारित पूर्ण और संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करेंगे ;
- (viii) राज्य परिषद को सन्दर्भ के लिए एजेंडा मदों को आच्छादित करने वाले विशिष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध करायेंगे;
- (ix) यह सुनिश्चित करेंगे कि बैठक से कम से कम दो कार्यदिवस पहले सदस्यों को एजेंडा दस्तावेज वितरित कर दिए जाएं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जब तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हो;
- (x) राज्य परिषद की बैठकों के कार्यवाही तैयार करना तथा बैठक में लिए गए राज्य परिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करना तथा राज्य परिषद के निर्णयों की कार्यवाही रिपोर्ट को राज्य परिषद की आगामी बैठकों में उसके समक्ष रखना भी सुनिश्चित करेंगे;
- (xi) यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य परिषद द्वारा अपने कार्य संचालन में उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाए;
- (xii) अधिनियम, विनियमों और इन नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों और मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत मौजूदा या स्थापित किए जाने वाले किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का निरीक्षण कर सकेंगे या निरीक्षण करवा सकेंगे;
- (xiii) राज्य परिषद के सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के लिए यात्रा, ठहराव और अन्य भत्तों के लिए प्रमाणन प्राधिकारी होंगे;
- (xiv) अनुदान जारी करने, पदों के सृजन, वेतनमानों में संशोधन, वाहनों की खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति, विधान सभा में वार्षिक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, निधियों के पुनर्विनियोजन, आवास और सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा वाले किसी अन्य मामले के लिए राज्य परिषद के परामर्श से सरकार के समक्ष ऐसे सभी मामलों को रखेंगे;
- (xv) ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो उसे सरकार या राज्य परिषद की ओर से अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो;
- परन्तु किसी मद पर एक समय में दो लाख रुपए से अधिक का व्यय सरकार या यथास्थिति, अध्यक्ष की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा;
- (xvi) राज्य परिषद के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे;
- (xvii) अधिनियम के तहत राज्य परिषद के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सरकार, उसके विभागों और एजेंसियों, आयोग, किसी अन्य राज्य परिषदों, विश्वविद्यालयों, जिनमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, और राज्य परिषद की ओर से किसी अन्य प्राधिकरण के साथ बातचीत और संपर्क करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 14. प्रशासनिक पदाधिकारी :-** (1) परिषद् का प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारी के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, जिसे स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने का वर्तमान या पूर्व अनुभव हो।
- (2) प्रशासनिक अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा। उसके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी होगा।
- (3) प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति राज्य परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अधीन उपनियम (1) के अधिकारियों की श्रेणी से सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।
- (4) प्रशासनिक अधिकारी का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें सरकारी सेवा के अंतर्गत समय-समय पर उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और सेवानिवृत्ति तक उसका कार्यकाल प्रचलित नियमों के अनुसार वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति माना जाएगा।

- (5) राज्य परिषद के प्रशासनिक अधिकारी सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, परिषद या सचिव द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।
15. **राज्य परिषद के अन्य कर्मचारी और उनकी सेवा की शर्तें :-** (1) राज्य परिषद, सरकार के अनुमोदन से, ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो अधिनियम के अधीन उसके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों।
- (2) राज्य परिषद के कर्मचारी सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, परिषद या सचिव द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (3) राज्य परिषद के कर्मचारियों की श्रेणी और संख्या, नियुक्ति की पद्धति, वेतनमान, योग्यता आदि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
- (4) नियुक्त या नियोजित कर्मचारियों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, जैसे भत्ते, पदोन्नति, छुट्टी, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, समान वर्ग/ग्रेड के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगे।
- (5) नियुक्त या नियोजित सभी कर्मचारी सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे। राज्य परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति सचिव में निहित होगी और वह सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा शासित होगी।
- (6) नियुक्त या नियोजित सभी अधिकारी और कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 (2023 का अधिनियम 45) की धारा 2 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।
16. **अवशिष्ट प्रावधान :-** अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वे ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

अध्याय-3 : कार्य संचालन

17. **राज्य परिषद के कार्य संचालन की प्रक्रिया :-**(1) परिषद की बैठकें निम्नानुसार होंगी :-
- (क) राज्य परिषद की बैठकें सामान्यतः पटना स्थित मुख्यालय में होंगी। राज्य परिषद की बैठकों की तिथि, समय और स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- (ख) अध्यक्ष अपनी इच्छा से या किसी सदस्य की अपेक्षा के अनुसार, तीन दिन का नोटिस देकर या अन्यथा, किसी विशेष तात्कालिक मामले पर विचार करने के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर राज्य परिषद की विशेष बैठक बुलाने का आदेश दे सकेगा। परन्तु यह कि विशेष बैठक में केवल उसी विषय या विषयों पर चर्चा की जाएगी जिसके लिए बैठक बुलाई गई है।
- (ग) उप-नियम (क) में किसी बात के होते हुए भी, सचिव, राज्य परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए सचिव को लिखित रूप में दिए गए अनुरोध पर राज्य परिषद की एक असाधारण बैठक बुलाएगा।
- (घ) राज्य परिषद अपने कार्य संचालन के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर बैठक करेगी।
- (ङ) सचिव, अध्यक्ष द्वारा निर्देशित अधिकारियों के साथ, राज्य परिषद की बैठकों में भाग लेंगे।
- (2) नोटिस और एजेंडा पत्र जारी करना निम्नानुसार होगा :-
- (क) सचिव बैठक की सूचना के साथ एक प्रारंभिक कार्यसूची पत्र जारी करेगा जिसमें बैठक में लाए जाने वाले कार्य, प्रस्तावित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों की शर्तें, जिनकी लिखित सूचना पहले ही उसके पास पहुँच चुकी है, तथा प्रस्तावकों के नाम दर्शाए जाएंगे।
- (ख) कोई सदस्य जो प्रारंभिक कार्यसूची पत्र में शामिल न किए गए किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता है या इस प्रकार शामिल किए गए किसी प्रस्ताव में संशोधन करना चाहता है, तो उन्हें बैठक की सूचना प्रकाशन के पांच दिनों के अन्दर सचिव को सूचना देनी होगी।
- (ग) सचिव, विशेष बैठक को छोड़कर प्रत्येक बैठक की सूचना परिषद के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व संसूचित करेंगे।

Shruti
28/1/24

(घ) सचिव बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दस दिन पहले या विशेष बैठक की स्थिति में बैठक की सूचना के साथ बैठक में लाए जाने वाले कार्य को दर्शाने वाला एक पूर्ण कार्यसूची जारी करेंगे।

(ङ) कोई सदस्य जो पूर्ण कार्यसूची में सम्मिलित किसी प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है, किन्तु जो एजेंडा पत्र में सम्मिलित नहीं है, तो उसे बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।

(च) सचिव उन सभी संशोधनों की सूची, जिनकी सूचना उप-नियम (ख) एवं (ङ) के अधीन दी गई है, प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा;

परन्तु यदि परिषद बहुमत से सहमत हो तो अध्यक्ष लिखित रूप में कारण दर्ज करके बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा, भले ही इस नियम के अनुपालन में प्रस्ताव की सूचना देरी से प्राप्त हुई हो।

(छ) कार्यसूची के प्रत्येक मद पर परिषद द्वारा अपनी बैठक में विचार किया जाएगा तथा उनकी स्वीकार्यता पर निर्णय भी ऐसी बैठक में लिया जाएगा।

(ज) अध्यक्ष कार्यसूची की किसी भी मद को अस्वीकार कर देगा, —

(i) यदि विषय, जिससे वह संबंधित है, परिषद के कार्यों के दायरे में नहीं है;

(ii) यदि वह मूलतः वही प्रश्न उठाता है जो प्रस्ताव या संशोधन उठाता है जिसे राज्य परिषद की अनुमति से उस बैठक की तारीख से ठीक पहले छह महीने के दौरान किसी भी समय पेश किया गया है या वापस लिया गया है जिसमें इसे पेश किया जाना हैरू परन्तु ऐसा प्रस्ताव परिषद के कम से कम दो—तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई परिषद की विशेष बैठक में स्वीकार किया जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि इन नियमों की कोई बात अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य के निर्वहन में सरकार या आयोग द्वारा परिषद को निर्दिष्ट किसी विषय पर चर्चा को निषेध नहीं करेगी।

(i) जब तक कि यह स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से व्यक्त न किया गया हो और एक निश्चित मुद्दे को पर्याप्त रूप से न उठाता हो;

(ii) यदि इसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, आरोप या मानहानिकारक कथन शामिल है:—

परन्तु यह भी कि यदि कोई प्रस्ताव संशोधन द्वारा स्वीकार किया जा सकता है तो अध्यक्ष प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के स्थान पर उसे संशोधित रूप में स्वीकार कर सकेगा।

18. गणपूर्ति (कोरम) :- बैठक की गणपूर्ति (कोरम) अध्यक्ष सहित परिषद के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से होगी। विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) अध्यक्ष सहित परिषद के कुल सदस्यों के एक—तिहाई सदस्यों से होगी। यदि किसी बैठक के लिए नियत समय पर या किसी बैठक के दौरान गणपूर्ति (कोरम) उपलब्ध नहीं होती है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, और यदि यदि ऐसे स्थगन से तीस मिनट की समाप्ति पर गणपूर्ति (कोरम) नहीं होती है, तो बैठक ऐसी आगामी तारीख और समय तक के लिए स्थगित हो जाएगी, जिसे परिषद का अध्यक्ष नियत करे।

19. कार्य संचालन:- (1) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रत्येक मामले को सदस्य द्वारा प्रस्तावित एजेंडा के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जिसका विधिवत समर्थन किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा राज्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा। परिषद में रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से हल किए जाने वाले प्रश्न के रूप में चर्चा की जा सकती है या कोई भी सदस्य, संशोधनों के दायरे पर उप-नियम (4) के अधीन रहते हुए, प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकता है:—

परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगा जो यदि मूल प्रस्ताव होता तो अस्वीकार्य होता या परिषद के कार्यों के दायरे से बाहर होता।

(2) बैठक में अनुपस्थित रहने वाले किसी सदस्य के नाम से कोई प्रस्ताव या संशोधन अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) जब किसी प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है या जब दो या अधिक ऐसे संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका समर्थन किया जाता है, तब अध्यक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों की शर्तों को परिषद् के समक्ष क्रमवार बताएगा या पढ़कर सुनाएगा।

(4) कोई भी संशोधन उस प्रस्ताव से प्रासंगिक और उसके दायरे में होगा जिसके लिए वह प्रस्तावित है। ऐसा संशोधन जो मूल प्रस्ताव को अस्वीकार करता हो, प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। अध्यक्ष परिषद् के समक्ष ऐसा संशोधन प्रस्तुत करने से इंकार कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव से प्रासंगिक न हो।

(5) किसी प्रस्ताव में शब्दों का लोप, प्रविष्टि या जोड़, या मूल शब्दों के स्थान पर शब्दों का प्रतिस्थापन करके संशोधन किया जा सकेगा।

(6) जब कोई प्रस्ताव या संशोधन चर्चा के अधीन हो, तो उसके संदर्भ में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि :-

- (क) प्रस्ताव का संशोधन या उपनियम (7) में प्रस्तावित संशोधन, जैसा भी मामला हो;
- (ख) प्रस्ताव या संशोधन पर बहस को या तो किसी निर्दिष्ट तिथि और समय तक या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव;
- (ग) प्रस्ताव कि परिषद् प्रस्ताव पर आगे विचार करने के बजाय कार्यक्रम के अगले मद पर विचार करे-

परन्तु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत या समर्थित नहीं किया जाएगा, जिसने बैठक से पूर्व ही उस प्रश्न पर बोल दिया हो;

परन्तु यह भी कि समापन या अगले मद पर जाने के लिए संदर्भित प्रस्ताव बिना किसी भाषण के प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) प्रस्ताव या संशोधन पर बहस स्थगित करने के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना अध्यक्ष के विवेक पर होगा। समापन प्रस्ताव स्वीकार करने पर, अध्यक्ष मूल प्रस्ताव या संशोधन पर प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार देते हुए, मतदान के लिए रखेंगे।

(8) कोई प्रस्ताव या संशोधन जो प्रस्तुत और समर्थित किया जा चुका है, राज्य परिषद् की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जाएगा, यदि कोई सदस्य अनुमति देने से असहमत हो तो उसे स्वीकृत नहीं माना जाएगा।

(9) जब कोई प्रस्ताव पेश किया गया हो और उसका समर्थन किया गया हो, तो प्रस्तावक और समर्थक के अलावा अन्य सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम में बोल सकेंगे जैसा अध्यक्ष निर्देशित करें;

परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव या संशोधन का समर्थक, अध्यक्ष की अनुमति से, स्वयं को प्रस्ताव या संशोधन, जैसी भी स्थिति हो, का समर्थन करने तक सीमित रख सकेगा और बहस के किसी भी पश्चातवर्ती चरण में उस पर बोल सकेगा।

(10) किसी प्रस्ताव का प्रस्तावक और, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाए, तो किसी संशोधन का प्रस्तावक, अंतिम उत्तर देने का अधिकार प्राप्त करेगा और कोई भी अन्य सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति के बिना, राज्य परिषद् को संबोधित करने के अलावा, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने या सदस्य से कोई प्रश्न पूछने के उद्देश्य से किसी भी बहस में एक बार से अधिक नहीं बोलेगा;

परन्तु कोई सदस्य बहस के किसी भी चरण में विधि या वैधानिक प्रक्रिया का प्रश्न उठाते हुए कोई औचित्य प्रश्न उठा सकेगा, किन्तु उसे कोई भाषण देने की अनुमति नहीं होगी; परन्तु यह भी कि जो सदस्य किसी प्रस्ताव पर बोल चुका है, वह बाद में उस प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन पर पुनः बोल सकता है।

(11) अध्यक्ष किसी भी बैठक में उठने वाले सभी व्यवस्था-विषयों या विवादों का निर्णय करेगा। यदि किसी ऐसे मामले की प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न उठता है जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, तो अध्यक्ष उसपर निर्णय करेगा।

Shreeta
28/1/20

20. प्रस्ताव पर मतदान और प्रस्ताव में संशोधन पर मतदान :- (1) जब कई बिंदुओं से संबंधित किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी हो, तो अध्यक्ष के विवेक पर यह निर्भर होगा कि वह प्रस्ताव को विभाजित करे और प्रत्येक या किसी बिंदु को अलग-अलग मतदान के लिए रखे, जैसा वह उचित समझे।
(2) किसी प्रस्ताव पर संशोधन मतदान के लिए रखा जाएगा। यदि किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक संशोधन हों, तो अध्यक्ष यह तय करेंगे कि उन्हें किस क्रम में लिया जाए। मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर होगा, लेकिन यदि कम से कम तीन सदस्यों द्वारा इस आशय की मांग की जाती है, तो मतदान मतपत्रों द्वारा भी हो सकता है। मतों के परिणाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।
21. बैठकों का स्थगन :-अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो किसी भी समय राज्य परिषद की किसी भी बैठक को, कारण बताते हुए, किसी भी आगामी तिथि या उसी दिन के किसी भी समय के लिए स्थगित कर सकता है। जब भी कोई बैठक किसी आगामी तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो सचिव सभी सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना भेजेगा। कोई भी विषय, जो मूल बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था, स्थगित बैठक में चर्चा के लिए नहीं होगा। स्थगित बैठक के लिए भी सामान्य बैठक के समान ही गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी।
22. राज्य परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति :- राज्य परिषद के सदस्यों, पदेन सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति या विशेष आमंत्रण के बिना, राज्य परिषद की बैठकों में उपस्थित नहीं होगा।

अध्याय-4 : स्वायत्त बोर्ड और सलाहकार बोर्ड

23. स्वायत्त बोर्डों का गठन :- (1) राज्य परिषद अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करेगी, अर्थात्, -
(ए) अंडरग्रेजुएट सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड,
(बी) स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड,
(ग) सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, और
(घ) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड।
(2) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष और प्रत्येक मान्यताप्राप्त श्रेणी से उतने सदस्य होंगे, जितने विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और वे सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
(3) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य मान्यता प्राप्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य विज्ञान श्रेणी के संबंधित पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले व्यक्ति होंगे, जो शिक्षाविदों और चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनके पास इस क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशे में अग्रणी के रूप में हों और जिनके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और निष्ठा हो।
(4) स्वायत्त बोर्ड, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3), (4), (5) और (6) में दिए गए अनुसार, अपने-अपने कर्तव्यों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।
(5) राज्य परिषद द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य के अतिरिक्त, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच करे और परिषद को रिपोर्ट करे कि आवेदक की योग्यता अधिनियम, इन नियमों और विनियमों के अनुसार मानकों के अनुरूप है या नहीं।

- (6) राज्य परिषद, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड के परामर्श से, अधिनियम की धारा 36 के तहत राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर सकती है।
24. **सलाहकार बोर्डों का गठन :-** (1) अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित प्रत्येक व्यावसायिक सलाहकार बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल हो सकते हैं, जो मान्यता प्राप्त श्रेणी में संबंधित व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(2) सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणियों के संबंधित व्यवसायों में स्नातकोत्तर डिग्री होगी, जो शिक्षाविदों और चिकित्सकों दोनों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जिनके पास इस क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशे में अग्रणी के रूप में होंगे और जिनके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और ईमानदारी होगी।
(3) अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत राज्य परिषद द्वारा गठित व्यावसायिक सलाहकार बोर्ड:-
(i) एक या अधिक मान्यता प्राप्त श्रेणियों से संबंधित मुद्दों की जांच कर सकता है और राज्य परिषद को सिफारिश कर सकता है।
(ii) राज्य परिषद द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्य कर सकता है।
25. **अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल :-** स्वायत्त बोर्डों और सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राज्य परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष से अधिक नहीं होगा।
26. **फीस और भत्ते का भुगतान :-** प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड और सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को परिषद, स्वायत्त बोर्ड या सलाहकार बोर्ड की बैठकों के संबंध में उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए तीन हजार रुपये का शुल्क और ऐसे यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होंगे।
परन्तु राज्य परिषद, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस नियम के अधीन देय शुल्क में वृद्धि कर सकेगी।

अध्याय-5 :

इंटरन का अनंतिम पंजीकरण और सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का पंजीकरण

27. **अनंतिम पंजीकरण :-** (1) कोई व्यक्ति जो राज्य परिषद के अंडरग्रेजुएट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है और अधिनियम के अंतर्गत किसी भी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशे में पर्यवेक्षित अभ्यास करने का इरादा रखता है, जो विनियमों के अंतर्गत लागू और राज्य परिषद के अंडरग्रेजुएट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित अनिवार्य चक्रीय इंटरनशिप की अवधि तक सीमित है, उसे ऐसी अनिवार्य चक्रीय इंटरनशिप शुरू करने से पहले राज्य परिषद के साथ अनंतिम रूप से पंजीकृत होना होगा।
(2) अनंतिम पंजीकरण, अधिनियम के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशे के पर्यवेक्षित अभ्यास के लिए एक लाइसेंस होगा, जो केवल अनिवार्य चक्रीय इंटरनशिप की अवधि तक सीमित होगा।
(3) अनंतिम पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप राज्य परिषद द्वारा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति पंजीकरण बोर्ड के परामर्श से निर्धारित रीति से होगा। अनंतिम पंजीकरण हेतु देय शुल्क एक हजार रुपये या राज्य परिषद द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाने वाली उच्चतर राशि होगी और ऐसा अप्रतिदेय शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि के नाम पर देय होगा।
(4) यदि राज्य परिषद आवेदक के अनंतिम पंजीकरण की अनुमति देती है, तो राज्य परिषद द्वारा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड के परामर्श

Shukla
28/4/26

से निर्धारित प्रारूप में आवेदक को एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। राज्य परिषद् प्रशिक्षुओं को अनंतिम पंजीकरण की अनुमति देने के लिए एक रजिस्टर भी रखेगी।

28. राज्य रजिस्टर में पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप और पंजीकरण हेतु शुल्क :- (1)

राज्य परिषद् बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायियों का रजिस्टर बनाए रखेगी, जो एक लाइव रजिस्टर होगा तथा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसमें मान्यता प्राप्त प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग भाग होंगे।

(2) कोई भी सहबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, जिसके पास अधिनियम के अंतर्गत नियमित शिक्षण पद्धति से प्राप्त मान्यता प्राप्त सहबद्ध स्वास्थ्य सेवा योग्यता है और जो बिहार राज्य में निवास करता है, राज्य रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए सचिव को आवेदन कर सकता है। ऐसा आवेदन अनुसूची में संलग्न प्रपत्र शकश या राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य संशोधित प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके साथ तीन हजार रुपये का अप्रतिदेय शुल्क या राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाने वाली उच्चतर राशि संलग्न होगी। पंजीकरण शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद् निधि के नाम देय होगा।

(3) इस बात के होते हुए भी कि किसी वृत्तिक ने किसी अन्य राज्य परिषद् या आयोग में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है, और ऐसा व्यक्ति, जो राज्य में निवास करता है, यदि वह बिहार राज्य में अधिनियम के अधीन ऐसे वृत्ति का व्यवसाय करने का आशय रखता है, तो उसे राज्य परिषद् में पंजीकरण कराना होगा। ऐसा व्यक्ति भी अनुसूची से संलग्न प्रपत्र 'क' में राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के लिए राज्य परिषद् को आवेदन करेगा।

(4) उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राप्त होने पर, सचिव ऐसे सभी आवेदनों को अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा गठित सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड को उसकी रिपोर्ट के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड, प्रत्येक आवेदन की जांच करेगा और राज्य परिषद् को रिपोर्ट करेगा कि क्या आवेदक के पास जो योग्यता है, वह अधिनियम, इन नियमों और विनियमों के अनुसार डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशलिटी स्तर पर, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के मानकों के अनुरूप है, जैसा कि अंडरग्रेजुएट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड या अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के तहत राज्य परिषद् द्वारा गठित स्नातकोत्तर सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।

(6) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सचिव, आवेदन के साथ रिपोर्ट को राज्य परिषद् के समक्ष राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के संबंध में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा। यदि राज्य परिषद् आवेदक के पंजीकरण की अनुमति देती है, तो सचिव संबंधित राज्य रजिस्टर में पेशेवर का नाम दर्ज करेगा। ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य परिषद् आवेदक का नाम पंजीकृत न करने के कारण पाती है, आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है।

29. पंजीकरण प्रमाणपत्र :- अधिनियम के अंतर्गत राज्य रजिस्टर में सहबद्ध एवं स्वास्थ्य

देखभाल पेशेवर के रूप में पंजीकरण होने पर, सचिव द्वारा इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र 'ख' में एक प्रमाणपत्र अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित आवेदक को जारी किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र की जालसाजी से बचने के लिए, राज्य परिषद् सुरक्षा उपाय अपना सकती है, जैसे प्रमाणपत्र पर उच्च सुरक्षा होलोग्राम या बार कोड लगाना।

30. **प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करना :-** (1) जहां राज्य परिषद को यह संतुष्टि हो जाती है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, वहां सचिव अपनी मुहर लगाकर इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र शर्श में प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा, जिसके लिए आवेदक द्वारा दस हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाने वाली उच्चतर फीस का भुगतान किया जाएगा।
- (2) प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए देय शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि के पक्ष में प्रेषित किया जाएगा तथा प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन के साथ उसका प्रमाण संलग्न किया जाएगा, जो ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा कि सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड के परामर्श से राज्य परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (3) प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र तथा राज्य परिषद द्वारा निर्धारित अन्य प्रमाण-पत्र संलग्न किए जाएंगे।
31. **रजिस्टर में अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए आवेदन :-** (1) कोई भी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, जो राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के पश्चात अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त श्रेणी की कोई अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करता है, ऐसी अतिरिक्त योग्यता को राज्य रजिस्टर में पंजीकृत करने के लिए सचिव को आवेदन कर सकता है। अतिरिक्त योग्यता पंजीकृत करने के लिए शुल्क के रूप में एक हजार पांच सौ रुपये का अप्रतिदेय शुल्क या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाने वाली कोई उच्चतर राशि ली जाएगी। यह शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि के नाम से प्रेषित किया जाएगा और प्रेषण का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। जिस अतिरिक्त योग्यता के लिए अतिरिक्त प्रविष्टि मांगी गई है, उसकी विधिवत सत्यापित प्रति अतिरिक्त प्रविष्टि दर्ज करने के आवेदन के साथ भेजी जाएगी। आवेदन इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र 'घ' में होगा।
- (2) आवेदन प्राप्त होने पर, सचिव, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा वृत्ति आचार एवं पंजीकरण बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा, ताकि अतिरिक्त योग्यता की प्रविष्टि हेतु स्वीकार्यता के संबंध में बोर्ड अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। आवेदन की जाँच के पश्चात, यदि बोर्ड अतिरिक्त योग्यता की स्वीकार्यता को बरकरार रखता है, तो सचिव अतिरिक्त योग्यता को राज्य रजिस्टर में पंजीकृत करेगा।
32. **पंजीकरण का नवीकरण :-** (1) नियम 28 और 29 के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार तीन हजार रुपये या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली उच्चतर राशि का भुगतान करके किया जाएगा, जो वापस नहीं की जाएगी। यह शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद निधि के नाम से प्रेषित किया जाएगा और नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने पर मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ शुल्क प्रेषण का प्रमाण भी संलग्न करना होगा।
- (2) जहां उपनियम (1) के अधीन फीस का भुगतान पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति की तिथि पर या उससे पूर्व नहीं किया जाता है, वहां सचिव चूककर्ता का नाम राज्य रजिस्टर से हटा देगा। बशर्ते कि ऐसे शुल्क के भुगतान पर, हटाए गए नाम को राज्य रजिस्टर में पुनः शामिल किया जा सकेगा, यदि अधिनियम, इन नियमों या विनियमों के अंतर्गत उसकी कोई अन्य अयोग्यता नहीं है और सचिव पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करेगा, जो पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाण होगा।

Sharma
28/1/26

33. अधिनियम की धारा 36 के अनुसार राज्य रजिस्टर से हटाए गए नाम की बहाली के लिए शुल्क :- जिस व्यक्ति का नाम अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (4) या धारा 37 के अधीन राज्य रजिस्टर में बहाल करने का आदेश दिया गया है, उसे राज्य रजिस्टर में अपना नाम बहाल करने के लिए, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दस हजार रुपये की राशि या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली उच्चतर राशि का भुगतान करना होगा। यह शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद निधि के नाम से देय होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा।
34. राज्य परिषद द्वारा किसी तिथि के अनुसार पेशेवरों की सूची रखी जाएगी :-
- (1) सचिव अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सूची नामक एक सूची तैयार करेंगे और उसे रखेंगे, जो लाइव और ऑनलाइन होगी। सूची को अद्यतन करते समय, अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) या धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य रजिस्टर से हटाए गए व्यक्तियों और मृत ज्ञात व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हों, को सूची से बाहर रखा जाएगा। परन्तु अधिनियम और इन नियमों में उपबन्धित प्रावधान के अनुसार राज्य रजिस्टर में बहाल किये गये व्यक्ति का नाम राज्य परिषद द्वारा ऐसी बहाली के तुरन्त बाद इस नियम के अधीन बनाई गई सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
- (2) राज्य परिषद, मृतक पेशेवर के पंजीकरण प्रमाण पत्र का उपयोग करने में कदाचार करने से नीम हकीम पेशेवरों को रोकने के उद्देश्य से, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची को सरकार के स्थानीय स्वशासी निकाय द्वारा बनाए गए मृत्यु पंजीकरण की ई-गवर्नेंस प्रणाली के साथ अद्यतन करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित कर सकती है।

अध्याय 6

नए सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान की स्थापना, नया अध्ययन के पाठ्यक्रम, मानदंड आदि

35. नई सहबद्ध स्वस्थ देखभाल संस्था, अध्ययन के नए पाठ्यक्रम आदि की स्थापना/अनुमति के लिए योजना का प्रारूप, रीति, विवरण और शुल्क :-
- (1) इस नियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के प्रारंभ होने की तारीख से:-
- (क) कोई भी व्यक्ति सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान स्थापित नहीं करेगा; या
- (ख) कोई भी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान -
- (i) अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) शुरू नहीं करेगा, जो प्रत्येक अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल योग्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, या
- (ii) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा; या
- (iii) किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में छात्रों के एक नए बैच को प्रवेश नहीं देगा, सिवाय इसके कि इस नियम के प्रावधानों के अनुसार परिषद की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई हो; बशर्ते कि किसी व्यक्ति को अध्ययन के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम या नए बैच के संबंध में परिषद की पूर्व अनुमति के बिना प्रदान की गई सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता इस नियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता नहीं होगी;

(2) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना अधिनियम के तहत सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों से संबंधित सभी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशलिटी स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश और परीक्षा प्राधिकार होगा;

(3) इस योजना के अंतर्गत सभी आवेदन राज्य परिषद के सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) निम्नलिखित संगठन सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थात् -

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार;

(ख) कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय;

(ग) चिकित्सा या सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के प्रयोजन के लिए किसी कानून के तहत या उसके द्वारा केन्द्र और/या राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त निकाय;

(घ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21, 1860) या राज्य में संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18, 2013) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को भी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा कॉलेज खोलने की अनुमति दी जा सकती है। यदि कॉलेज व्यावसायीकरण का सहारा लेते हैं तो अनुमति वापस ले ली जाएगी;

(5) कोई व्यक्ति या संगठन संस्थान स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते होंगे -

(क) प्रस्तावित संस्थान किसी क्रियाशील मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय के निकट स्थित है, जैसा कि योजना में परिभाषित किया जा सकता है, और छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंटरनशिप प्रदान करने के लिए एक संलग्न अस्पताल भी है;

(ख) संस्था ने राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसमें किसी मौजूदा कॉलेज/संस्थान या प्रस्तावित कॉलेज/संस्थान में, आयोग द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट तरीके से, विशिष्ट पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को दर्शाया गया हो।

(ग) संस्थान ने पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय से सहबद्धता प्राप्त कर ली है।

(घ) संस्था अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित बुनियादी मानकों को पूरा करती है, जिन्हें आयोग द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) स्कीम, प्रपत्र/प्रारूप और प्रक्रियाएं निम्नानुसार होंगी :-

भाग-I में आवेदक के बारे में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात् :-

(क) पात्रता मानदंड के संदर्भ में आवेदक की स्थिति।

(ख) संस्थान/कॉलेज में प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

(ग) आधारभूत संरचना सुविधाएं, आवेदक की प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताएं (यदि आवेदक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है तो पिछले तीन वर्षों का बैलेंस शीट)।

भाग-II में निम्नलिखित शामिल होंगे, -

(क) संस्था या कॉलेज का नाम और पता

(ख) शैक्षिक कार्यक्रम, -

(i) प्रस्तावित पाठ्यक्रम

(ii) छात्रों का प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश

(iii) प्रवेश मानदंड और प्रवेश की विधि

(iv) विभागवार और वर्षवार अध्ययन पाठ्यक्रम

(ग) बिहार सरकार द्वारा विधि के अनुरूप जारी नियमों एवं आदेशों के अनुसार सीटों का आरक्षण।

(घ) बाजार सर्वेक्षण और पर्यावरण विश्लेषण जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

Shukla
28/4/24

- (i) सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा और प्रशिक्षण पर राज्य नीति,
- (ii) जिन व्यवसायों के पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं, उनमें प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता और उपलब्धता,
- (iii) प्रस्तावित कॉलेज के लिए मरीजों के संदर्भ में ग्रहण क्षेत्र, वर्तमान अस्पताल का रोगी भार, यदि उपलब्ध हो,
- (iv) ग्रहण क्षेत्र में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं (सार्वजनिक और निजी) की संख्या का मानचित्रण,
- (ड) साइट/स्थल की विशेषताएं और बाहरी संपर्कों की उपलब्धता - टोपोग्राफी, भूखंड का आकार/माप, स्वीकार्य फ्लोर स्पेस सूचकांक आदि।
- (च) संकाय (फैकल्टी) एवं कर्मचारी - विभागवार एवं वर्षवार आवश्यकता;
 - (i) शिक्षा के बुनियादी मानक प्रदान करने का तरीका, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, भौतिक और अनुदेशनात्मक सुविधाएं, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ योग्यताएं, गुणवत्तापूर्ण निर्देश, मूल्यांकन, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, सतत व्यावसायिक शिक्षा, विभिन्न मान्यता प्राप्त श्रेणियों के संबंध में देय अधिकतम शिक्षण शुल्क, सीटों का आनुपातिक वितरण और मान्यता प्राप्त श्रेणियों में नवाचारों को बढ़ावा देने आदि का तरीका विनियमों में दिए गए अनुसार होगा।
 - (ii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन संरचना।
 - (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियम भी शामिल हैं, जिसका निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।
 - (छ) योजना और लेआउट - मास्टर प्लान, लेआउट और ऊंचाई और मंजिलवार क्षेत्र गणना।
 - (ज) चरणबद्धता और समय-निर्धारण - गतिविधियों की माहवार सारणी-
 - (i) भवन डिजाइन का प्रारंभ और समापन
 - (ii) स्थानीय निकाय अनुमोदन
 - (iii) सिविल निर्माण
 - (iv) इंजीनियरिंग सेवाएँ और उपकरण
 - (झ) सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कर्मचारियों की भर्ती, जिसके लिए आरक्षण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा)
 - (त) परियोजना लागत
 - (i) कुल अनुमानित लागत
 - (ii) परियोजना के वित्तपोषण के साधन
 - (iii) राजस्व अनुमान
 - (iv) व्यय अनुमान
- (क) मौजूदा अस्पताल का नाम और पता,
- (ख) अस्पताल का विवरण।
- (7) आवेदन शुल्क ऐसा होगा जो राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (8) स्कीम प्राप्त होने पर, परिषद संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था से ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकेगी, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, और उसके बाद, वह:-
 - (क) यदि योजना दोषपूर्ण है और उसमें कोई आवश्यक विवरण नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को परिषद द्वारा निर्दिष्ट दोषों, यदि कोई हों, को सुधारने का अधिकार खुला होगा;
 - (ख) उपधारा (10) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए योजना पर विचार करेगा।

(9) परिषद्, योजना पर विचार करने के पश्चात् और जहां आवश्यक हो, उपधारा (8) के अधीन ऐसे अन्य विवरण प्राप्त करने के पश्चात्, जिन्हें वह संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था से आवश्यक समझे, और उपधारा (10) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए, या तो ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, योजना को अनुमोदित कर सकेगी या योजना को अस्वीकृत कर सकेगी और ऐसा कोई अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन अनुमति माना जाएगा; बशर्ते कि ऐसी किसी योजना को परिषद् द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाए—

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था को, जिसकी योजना परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है, नई योजना प्रस्तुत करने से नहीं रोकेंगी और इस धारा के उपबंध ऐसी योजना पर वैसे ही लागू होंगे, मानो ऐसी योजना उपधारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई हो। (10) परिषद् उपधारा (9) के अधीन आदेश पारित करते समय निम्नलिखित बातों पर सम्यक् ध्यान रखेगी, अर्थात् :-

(क) क्या प्रस्तावित सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान या मौजूदा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान जो प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहता है, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा के बुनियादी मानकों को पेश करने की स्थिति में होगा;

(ख) क्या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति या अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने या अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाने की इच्छा रखने वाले विद्यमान सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं;

(ग) क्या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने या अध्ययन या प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रम का संचालन करने या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता को समायोजित करने के लिए स्टॉल, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण, अस्पताल और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की जाएंगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(घ) क्या ऐसे सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान या अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले संभावित छात्रों की संख्या या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता के परिणामस्वरूप पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की जाएंगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ङ) क्या ऐसे सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान या अध्ययन का पाठ्यक्रम या मान्यता प्राप्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में जाने वाले संभावित छात्रों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है :-

(च) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में मानवशक्ति की आवश्यकता; और

(छ) कोई अन्य कारक जो विनियमन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(6) जहां परिषद् उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश पारित करती है, वहां आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को भेजी जाएगी।

(क) "व्यक्ति" में कोई विश्वविद्यालय, संस्था या ट्रस्ट शामिल है, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार शामिल नहीं है;

(ख) किसी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के संबंध में "प्रवेश क्षमता" से छात्रों की अधिकतम संख्या अभिप्रेत है, जो ऐसे अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है।

Shutia
2/1/26

36. सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं से सूचना मांगने की शक्ति :-

(1) किसी भी मान्यता प्राप्त श्रेणी में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान, अधिनियम के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि, मूल्यांकन और परीक्षा की योजना और अन्य पात्रता शर्तों के बारे में परिषद को जानकारी प्रदान करेगा, जैसा कि परिषद को समय-समय पर आवश्यक हो।

(2) इस नियम के लागू होने की तारीख को किसी मान्यता प्राप्त श्रेणी में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था परिषद को ऐसी जानकारी ऐसी रीति से देगी, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

37. बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद द्वारा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल योग्यताओं की मान्यता :-

(1) परिषद किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मानकों को सत्यापित करेगी जहां मान्यता प्राप्त श्रेणी में शिक्षा दी जाती है, या किसी भी शैक्षिक या अनुसंधान संस्थान द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता की मान्यता के प्रयोजन के लिए उस सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में ऐसी रीति से उपस्थित होगी, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया सत्यापन किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि इसका उद्देश्य, यथास्थिति, मान्यता प्राप्त श्रेणियों में शिक्षा देने के लिए स्टाफ, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं सहित शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता या उनके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक परीक्षा की यथेष्टता पर परिषद को रिपोर्ट करना होगा।

(3) परिषद मानकों के सत्यापन की रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को तथा उस पर संस्था की टिप्पणियों सहित एक प्रति आयोग को भेजेगी।

38. मान्यता वापस लेना :- (1) राज्य परिषद से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि आयोग की यह राय है कि-

(क) किसी विश्वविद्यालय या किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षा, या उम्मीदवारों से अपेक्षित प्रवीणता, जैसा भी मामला हो, संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है; या,

(ख) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में, जैसा भी मामला हो, संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों और मानदंडों का किसी विश्वविद्यालय या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था द्वारा पालन नहीं किया जाता है, और ऐसा विश्वविद्यालय या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रही है, तो वह उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकती है।

(2) ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, तथा ऐसी जांच के आधार पर, जैसा वह उचित समझे, आयोग, उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद से प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को दी गई मान्यता वापस ले सकेगा-

बशर्ते कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले, आयोग, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान तथा राज्य सरकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान स्थित है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा-

बशर्ते कि आयोग, किसी विश्वविद्यालय या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान द्वारा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की योग्यता को प्रदान की गई मान्यता को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई करने से पहले, राज्य परिषद के परामर्श से जुर्माना लगाएगा।

(3) आयोग, ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जैसा वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि -

(क) कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता इस नियम के तहत तभी मान्यता प्राप्त योग्यता होगी जब वह निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान की गई हो; या

(ख) यदि किसी निर्दिष्ट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के छात्रों को कोई सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल योग्यता प्रदान की जाती है, तो वह केवल तभी मान्यता प्राप्त योग्यता होगी, जब वह निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान की गई हो; या

(ग) कोई भी योग्यता किसी निर्दिष्ट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के संबंध में मान्यता प्राप्त योग्यता तभी मानी जाएगी जब वह निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान की गई हो।

39. सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों द्वारा न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता :- परिषद्, राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021 के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहने पर किसी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के विरुद्ध चेतावनी जारी करने, जुर्माना लगाने, प्रवेश कम करने या प्रवेश रोकने तथा मान्यता वापस लेने के लिए आयोग को सिफारिश करने सहित ऐसे उपाय कर सकती है।

अध्याय 7

परिषद् निधि, वित्तीय शक्तियां, धनराशि का विनियोजन आदि।

40. राज्य सरकार द्वारा अनुदान :- राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किए जाने के पश्चात् राज्य परिषद् को ऐसी धनराशि का अनुदान दे सकेगी, जिसे राज्य सरकार इस नियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे।
41. राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् निधि :- (1) राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् निधि नामक एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा : -
- (क) राज्य सरकार से प्राप्त सभी धनराशियाँ;
- (ख) अनुदान, फीस, दान, वसीयत और हस्तांतरण के माध्यम से परिषद् द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ; और
- (ग) परिषद् द्वारा किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियाँ, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए।
- (2) आयोग और परिषद् की सभी प्राप्तियां आयोग के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएंगी और सभी प्राप्तियों का एक-चौथाई हिस्सा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल निधि में स्थानांतरित किया जाएगा और सभी प्राप्तियों का तीन-चौथाई हिस्सा उस पोर्टल के माध्यम से राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग इस नियम के प्रयोजनों के लिए परिषद् द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के व्ययों के लिए उस रीति से किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।
42. राज्य परिषद् और सचिव की वित्तीय शक्तियाँ :- (1) राज्य परिषद् के पास राज्य परिषद् के वित्तीय लेन-देन से संबंधित सभी शक्तियाँ होंगी, सिवाय उन मामलों के जिनके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। सचिव के पास, सामान्यतः, ऐसी वित्तीय शक्तियाँ होंगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
- (2) राज्य परिषद् की सभी वित्तीय शक्तियाँ सामान्य वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों द्वारा शासित होंगी।

Shudra
28/4/20

- (3) राज्य परिषद्, पदों के सृजन, वेतनमान के पुनरीक्षण, वाहनों की खरीद, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों के पुनर्विनियोजन, राज्य परिषद् के किसी सदस्य या अधिकारी को विदेश में सेमिनारों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने तथा सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मामलों में राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- (4) राज्य परिषद् के सचिव को, ऐसी शर्तों और सीमाओं तथा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, अपनी वित्तीय शक्तियों को राज्य परिषद् के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी। परन्तु सचिव के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी मद पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक व्यय करने के संबंध में ऐसी कोई शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की जाएँगी।
- (5) सचिव को राज्य परिषद् द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए तथा मानदेय, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ते से संबंधित पूर्व में सहमत शर्तों पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परामर्शदाता के रूप में संलग्न करने की शक्ति होगी।
- (6) सचिव को राज्य परिषद् के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए सभी विधिक निर्णयों को कार्यान्वित करने की शक्ति होगी, जिनमें वित्तीय प्रतिबद्धता वाले निर्णय भी शामिल हैं।
- 43. राज्य परिषद् द्वारा प्राप्त धनराशि के विनियोजन की रीति :-** सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् निधि में ऐसी धनराशि और ऐसी रीति से भुगतान कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे, ताकि राज्य परिषद् अधिनियम, इन नियमों और विनियमों के अधीन अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सके।
- 44. राज्य परिषद् के कार्यों में किए गए व्यय के लिए निधि के उपयोग की विधि :-** (1) राज्य परिषद् अपने खातों का रखरखाव करेगी और इस संबंध में समय-समय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगी।
- (2) बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् निधि से व्यय करने या प्राधिकृत करने वाले राज्य परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य, पदेन सदस्य, सचिव, सलाहकार बोर्ड, स्वायत्त बोर्ड के सदस्य तथा प्रत्येक अधिकारी को बिहार वित्तीय नियम/संहिता के प्रावधानों सहित वित्तीय औचित्य के मानकों द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि के अंत में, राज्य परिषद् एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का सदस्य होगा, को नियुक्त करके निम्नलिखित वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगी, साथ ही वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए नोट्स और निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचियां, खातों पर नोट्स और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां भी तैयार करेगी:
- (क) बैलेंस शीट;
- (ख) आय और व्यय खाता और
- (ग) प्राप्ति एवं भुगतान खाता।
- (4) वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य परिषद् द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाएगा तथा प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए राज्य परिषद् के अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (5) राज्य परिषद् का अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य परिषद् द्वारा लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसकी ओर से उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाएंगे।

(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य परिषद के वार्षिक लेखे, राज्य परिषद द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार को भेजे जाएंगे।

45. **वार्षिक रिपोर्ट :-** (1) राज्य परिषद प्रत्येक वर्ष में एक बार इन नियमों से संलग्न अनुसूची के प्रपत्र '3' में विनिर्दिष्ट विषय के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।
(2) सरकार राज्य परिषद की वार्षिक रिपोर्ट को, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी।
46. **वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण :-** राज्य परिषद का कार्यालय वार्षिक रिपोर्ट को अत्यंत शीघ्रता से मुद्रित करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा किसी भी स्थिति में रिपोर्ट के अंतिम रूप देने के एक महीने के भीतर मुद्रित करना होगा।

अध्याय- 8 : प्रकीर्ण

47. **आदेशों आदि का अधिप्रमाणन :-** परिषद के सभी आदेश और निर्णय, जैसी भी स्थिति हो, तथा उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेज सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।
48. **सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा प्रैक्टिस :-** कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर इस नियम द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी भी कर्तव्य का निर्वहन या कोई भी कार्य नहीं करेगा या पेशे के प्रैक्टिस के दायरे में अधिकृत नहीं किए गए किसी भी उपचार को नहीं करेगा।
49. **राज्य रजिस्टर में दर्ज होने का झूठा दावा करने पर दंड :-** यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम उस समय राज्य रजिस्टर में दर्ज नहीं है, झूठा व्यपदेशन करता है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है या अपने नाम या उपाधि के संबंध में कोई शब्द या अक्षर का प्रयोग करता है जिससे यह पता चले कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है, तो उसे प्रथम दोषसिद्धि पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर छह माह तक का कारावास या एक लाख रुपए से अधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
50. **उपाधियों का दुरुपयोग :-** यदि कोई व्यक्ति;
(क) राज्य रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्ति न होने पर, एक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर का विवरण लेता है या उसका उपयोग करता है, या
(ख) इस नियम के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता नहीं रखने पर, डिग्री या डिप्लोमा या लाइसेंस या संक्षिप्त नाम का उपयोग करता है जो ऐसी योग्यता को दर्शाता है या निहित करता है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, और किसी भी बाद की दोषसिद्धि पर कारावास, जो एक वर्ष तक हो सकता है, या दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
51. **पंजीकरण प्रमाण पत्र समर्पित करने में विफलता :-** यदि किसी व्यक्ति का नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, तो उसे तत्काल अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र या नवीकरण प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, या दोनों को समर्पित करना होगा, ऐसा न करने पर उसे पचास हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना देना होगा जो अपराध जारी रहने के पहले दिन के बाद प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक हो सकता है।

Shukla
28/1/26

52. **नियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड :-** जो कोई भी इस नियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
53. **अपराधों का संज्ञान :-** (1) कोई भी न्यायालय इस नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, परिषद् द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, नहीं लेगा।
(2) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय इस नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
54. **अधिकारिता का वर्जन :-** किसी भी सिविल न्यायालय को इस नियम के अंतर्गत, यथास्थिति, किसी नाम को हटाने या राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज करने से इंकार करने से संबंधित परिषद् द्वारा दिए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।
55. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :-** राज्य सरकार या परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या स्वायत्त बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही इस नियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए नहीं होगी।
56. **अवशिष्ट मामले :-** जिन विषयों का इन नियमों में प्रावधान नहीं किया गया है, उनके लिए इस संबंध में भारत सरकार अधिनियम/नियम/संकल्प/निर्देश के प्रावधान लागू होंगे।
57. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :-** यदि इस नियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बिहार सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस नियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों-
58. **नियमावली में संशोधन करने की शक्ति :-** बिहार सरकार (स्वास्थ्य विभाग) विधि विभाग से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए अनुसूची में कुछ जोड़ सकेगी या उसे अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।
59. **निरसन एवं व्यावृत्ति :-** (1) बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2024 (अधिसूचना संख्या-285(4) दिनांक-15.03.2024 एवं अधिसूचना संख्या-286(4) दिनांक-15.03.2024) एवं परिषद् के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेंगे।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वोक्त नियमों, संकल्पों, आदेशों, अनुदेशों आदि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अधीन की गई मानी जाएगी, यह मानते हुए कि ये नियम उस तारीख को प्रवृत्त थे, जिस तारीख को ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Bhutiya

(छिरिड. वाई भूटिया)

सरकार के विशेष सचिव।

Rangaraj

अनुसूची
[देखें धारा 2 (घ)]

क्र०सं०	मान्यता प्राप्त श्रेणी	संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति	आईएससीओ कोड
1.	<p>चिकित्सा प्रयोगशाला और जीवन विज्ञान जीवन विज्ञान वृत्तिक</p> <p>नोट- जीवन विज्ञान वृत्तिक वह व्यक्ति है जो मानव और अन्य जीवन रूपों पर शोध का प्रयोग, एक दूसरे के साथ उनकी पारस्परिक क्रिया और वातारण पर शोध के प्रयोग की जानकारी रखता है ताकि नई जानकारी को विकसित किया जा सके और पर्यावरण संबंधी एवं मानव स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके तथा जो विविध क्षेत्रों में कार्य करता है, जैसे जीवाणु विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान, आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, औषध विज्ञान, विष विज्ञान और विषाणु विज्ञान जो अन्य में से नयी प्रक्रियाओं और तकनीकों की पहचान करने और विकसित करने के लिए प्रयोगिक तथा फिल्ड डाटा का संग्रह, विश्लेषण तथा मूल्यांकन करता है।</p> <p>चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान वृत्तिक</p> <p>नोट- चिकित्सा एवं रोग विज्ञान प्रयोगशाला वृत्तिक वह व्यक्ति है जो रोगी के स्वास्थ्य या मृत्यु के कारण के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए शारीरिक द्रवों और उत्तकों के नमूनों पर नैदानिक जाँच करता है और चिकित्सा प्रयोगशाला या संबंधित क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण रखता है जिसमें जैविक सामग्री जिसके अन्तर्गत रक्त, मूत्र और गेरुदंडीय द्रव है, के विश्लेषण के लिए जाँच और संचालन उपकरण जैसे- स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर और फ्लेम फोटोमीटर शामिल है।</p>	<p>(i) जैव प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(ii) जीव रसायनज्ञ (गैर-नैदानिक)</p> <p>(iii) कोशिका आनुवंशिक विज्ञानी</p> <p>(iv) सूक्ष्मजीव विज्ञानी (गैर-नैदानिक)</p> <p>(v) आणविक जीव वैज्ञानिक (गैर नैदानिक)</p> <p>(vi) आणविक आनुवंशिक विज्ञानी</p>	2131
	<p>(i) कोशिका प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(ii) विधि विज्ञान प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(iii) ऊतक प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(iv) हिमैटो प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(v) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्</p>	3212	
2	<p>अभिघात, दहन देखभाल और शल्य चिकित्सा/ संवेदना संबंधी प्रौद्योगिकी अभिघात एवं दहन देखभाल वृत्तिक</p> <p>नोट- अभिघात और दहन देखभाल वृत्तिक वह व्यक्ति है जो चिकित्सक द्वारा कार्यान्वित उन कार्यों की तुलना में क्षेत्र और जटिलता में अधिक सीमित परामर्शी, नैदानिक, आरोग्यकारी और निवारक चिकित्सा सेवाओं जिसमें आपात चिकित्सा शामिल है, को प्रदान करता है। साथ ही आपात एवं दहन देखभाल प्रौद्योगिकीविद् वह है जो स्वायत्त या चिकित्सक के सीमित देखरेख में कार्य करता है और उपचार तथा क्षति निवारण एवं अन्य शारीरिक दुर्बलता हेतु उन्नत नैदानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है।</p>	<p>(i) उन्नत देखभाल चिकित्सा सहायक</p> <p>(ii) दहन देखभाल प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(iii) आपात चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (चिकित्सा सहायक)</p>	<p>2240</p> <p>2240</p> <p>3258</p>

Shukla
28/4/26

	<p>शल्य क्रिया एवं निश्चेतन संबंधी प्रौद्योगिकीविद् वृत्तिक नोट— शल्यक्रिया निश्चेतन प्रौद्योगिकीविद् वृत्तिक वह व्यक्ति है जो शल्यक्रिया कक्ष में बहु-अनुशासनिक समूह का सदस्य होता है जो शल्यक्रिया कक्ष को तैयार एवं व्यवस्थित करता है। सम्पूर्ण शल्य क्रिया अवधि के दौरान निश्चेतक और शल्य क्रिया समूह की सहायता करता है तथा स्वास्थ्य लाभ कक्ष में मरीज को सहायता प्रदान करता है एवं मुख्य भूमिका में शामिल है एवं निश्चेतक उपकरण की स्थापना, जाँच तथा संधारण, शल्य क्रिया कक्ष तथा मेज को तैयार करना, केन्द्रीय विसंक्रमित सेवाओं, विभागीय कार्यों का प्रबंधन एवं आपात स्थितियों तथा आपदा तैयारियों में सहायता एवं किसी अन्य नैदानिक क्षेत्र के संबंध में शल्य चिकित्सक तथा निश्चेतकों को सहयोग करना।</p>	(i) निश्चेतन सहायक एवं प्रौद्योगिकीविद्	3259
		ii) शल्यक्रिया कक्ष (ओ०टी०) प्रौद्योगिकीविद्	0259
		(iii) एंडोस्कोपी (अन्तः दर्शन) और लेप्रोस्कोपी प्रौद्योगिकीविद्	3259
3.	<p>भौतिक चिकित्सा वृत्तिक नोट :- भौतिक चिकित्सा वृत्तिक वह व्यक्ति है जो व्यापक परीक्षण एवं उपयुक्त जाँच द्वारा भौतिक चिकित्सा का अभ्यास करता है। तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए या गतिविधि संबद्ध या कार्यात्मक शिथिलता, विकार, दिव्यांगता, उपचारात्मक तथा अभिघात से दर्द और बीमारी की रोकथाम के लिए भौतिक तौर-तरीके जिसमें व्यायाम, जुटाव, कार्य साधन विद्युतीय एवं तापीय अभिकर्ताओं तथा अन्य चिकित्सा जाँच, निदान, उपचार, स्वास्थ्य संवर्धन तथा स्वास्थ्य शामिल है, उपचार और परामर्श प्रदान करता है। भौतिक चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु-अनुशासनिक समूह के रूप में कार्य कर सकता है और उसके पास न्यूनतम अर्हता स्नातक डिग्री है।</p>	भौतिक चिकित्सक	2264
4.	<p>पोषण विज्ञान वृत्तिक नोट— पोषण विज्ञान वृत्तिक वह व्यक्ति है जो मूल्यांकन, योजना तथा स्वास्थ्य पर आहार एवं पोषण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने हेतु वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन करता है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत समूहों, समुदायों और जनसंख्या के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आहार तथा पोषण विज्ञान, पोषण, आहारिकी में प्रशिक्षण देकर बीमारी की रोकथाम और उपचार करता है।</p>	(1) आहारविद् (नैदानिक आहारविद्, आहार सेवा आहारविद् सहित) (2) पोषणविद् (जन स्वास्थ्य पोषणविद्, खेलकूद पोषणविद् सहित)	2265 2265

5.	नेत्र विज्ञान वृत्तिक नोट- नेत्र विज्ञान वृत्तिक वह व्यक्ति है जो आँख संबंधित बीमारी का अध्ययन करता है और दृश्य प्रणाली के विकार के प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें न्यूनतम चार वर्षों के स्नातक डिग्री रखने वाले दृष्टिमितिज्ञ तथा न्यूनतम दो वर्षों की मान्यताप्राप्त डिप्लोमा कार्यक्रम द्वारा नेत्र विज्ञान सहायक / दृष्टि तकनीशियन होने वाले चिकित्सक द्वारा किए गए कार्य का दायरा और जटिलता सीमित रहती है।	(i) दृष्टिमितिज्ञ	2267
		(ii) नेत्र विज्ञान सहायक	3256
		(iii) दृष्टि तकनीशियन	3256
6.	व्यावसायिक चिकित्सा वृत्तिक नोट- व्यावसायिक चिकित्सा वृत्तिक वह व्यक्ति है जो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित ग्राहक केन्द्रित सेवाओं को दैनिक जीवन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए लोगों को व्यवसाय के माध्यम से सक्षम बनाता है जिसमें वृत्तिक जैसे कि व्यावसायिक चिकित्सक, जो यह परिणाम लोगों और समुदायों के साथ उनके व्यवसाय, जिसमें उनकी अपेक्षा है, को शामिल करते हुए या व्यवसाय में परिवर्तन के द्वारा या उनके व्यावसायिक कार्य में बेहतर सहयोग के लिए वातावरण में उनकी क्षमता को बढ़ाता है। व्यावसायिक चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु-विषयक टीम के भाग के रूप में अभ्यास कर सकता है और उसके पास न्यूनतम अर्हता स्नातक डिग्री है।	व्यावसायिक चिकित्सक	2269
7.	सामुदायिक देखभाल, व्यावहारिक स्वास्थ्य विज्ञान एवं अन्य वृत्तिक सामुदायिक देखभाल		
	नोट- प्राथमिक एवं सामुदायिक देखभाल वृत्तिक वह व्यक्ति है जो क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा, रेफरल, अनुवर्ती मामला, प्रबंधन एवं बुनियादी निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा गृह निरीक्षण सेवा विशिष्ट समुदायों को प्रदान करता है और रेफरल नेटवर्क स्थापित करने में तथा सामाजिक सेवा प्रणाली के मार्गदर्शन में व्यक्तियों और परिवारों की मदद और सहायता करता है।	(i) पर्यावरण सुरक्षा अधिकारी	2133
		(ii) पारिस्थितिकीविद्	2133
		(iii) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रोत्साहक	3253
		(iv) व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी (निरीक्षक)	3257
	व्यावहारिक स्वास्थ्य विज्ञान वृत्तिक नोट- व्यावहारिक स्वास्थ्य विज्ञान वृत्तिक वह व्यक्ति है जो मनोभाव का वैज्ञानिक अध्ययन, व्यक्ति के मानसिक तंदुरुस्ती से संबंधित व्यवहार और जैविकी, दैनिक जीवन में उनके कार्य करने की क्षमता एवं उनके स्वयं की अवधारणा की जिम्मेदारी लेता है। "व्यावहारिक स्वास्थ्य" "मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य पद है जिसमें सलाहकार, विश्लेषक, मनोविज्ञानी,	(i) मनोविज्ञानी (पी0डब्लू0डी0 हेतु आरसीआई के अधीन आच्छादित नैदानिक मनोविज्ञानी को छोड़कर)	2635
		(ii) व्यावहारिक विश्लेषक	2635
		(iii) एकीकृत व्यावहारिक स्वास्थ्य सलाहकार	2635
		(iv) स्वास्थ्य शिक्षक एवं सलाहकार जिनके अंतर्गत रोग	2635

Shutia
28/2/26

	<p>हृदयवाहिका, तंत्रिका विज्ञान एवं फुफ्फुसीय प्रौद्योगिकी वृत्तिक</p> <p>नोट— हृदयवाहिका, तंत्रिका विज्ञान एवं फुफ्फुसीय प्रौद्योगिकी वृत्तिक में वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने श्वसन तंत्रिका विज्ञान विषयक एवं परिसंचरण तंत्र की पढ़ाई की हो एवं गहन समझ रखते हों और इससे संबंधित जटिल उपकरण चलाने की योग्यता भी रखते हों और ऐसे वृत्तिक शामिल हैं जैसे परफ्यूजनिसट, हृदयवाहिका प्रौद्योगिकीविद्, श्वसन प्रौद्योगिकीविद् एवं निष्क्रिय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्।</p>	(i) हृदयवाहिका प्रौद्योगिकीविद्	3256
		(ii) परफ्यूजनिसट	3259
		(iii) श्वसन प्रौद्योगिकीविद्	3259
		(iv) विद्युत हृदयलेख (ईसीजी) प्रौद्योगिकीविद् या इकोकार्डियोग्राम (ईसीएचओ) प्रौद्योगिकीविद्	3259
		(v) इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राम (ईईजी) या विद्युत तंत्रिका प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (ईएनडी) तंत्रिका प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् निष्क्रिय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	3259
	<p>वृक्कीय प्रौद्योगिकीविद् वृत्तिक</p> <p>नोट— वृक्कीय प्रौद्योगिकी वृत्तिक वह व्यक्ति है जो रोगी को प्रभावी डायलिसिस चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी की जानकारी रखता है तथा इसमें ऐसे डायलिसिस चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् शामिल हैं जिनके पास स्नातक की डिग्री है और जो कृत्रिम रूप से वृक्क मशीन का संचालन और रखरखाव में स्वीकृत तरीकों का पालन करते हैं।</p>	डायलिसिस चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् या मूत्र विज्ञान प्रौद्योगिकीविद्	
10.	<p>स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सूचक वृत्तिक</p> <p>नोट— स्वास्थ्य एवं सूचना प्रबंधन वृत्तिक वह व्यक्ति है जो चिकित्सा सुविधा एवं अन्य स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में स्वास्थ्य अभिलेख प्रक्रिया, संग्रहण और पुनः प्राप्ति को विकसित, लागू और मूल्यांकन करता है ताकि कानूनी, वृत्तिक, नैतिक और स्वास्थ्य सेवा वितरण की प्रशासनिक अभिलेख संग्रहण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग की संख्यात्मक कूट लेखन प्रणाली के अनुरूप स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मानकों के लिए रोगी के रिपोर्ट की जानकारी को संसाधित, संधारित और संकलित किया जा सके।</p>	(i) स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन वृत्तिक (चिकित्सा अभिलेख विश्लेषक सहित)	3252
		(ii) स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रौद्योगिकीविद्	3252
		(iii) नैदानिक कोडर (कूट लेखक)	3252
		(iv) चिकित्सा सचिव एवं चिकित्सा प्रतिलिपिक	3344

Shreya
28/2/26

अनुसूची

प्रपत्र - क

बिहार राज्य संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के रजिस्टर में पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

(आवेदन साफ़ - साफ़ अक्षरों में भरा जाए)

1. आवेदक का नाम:
2. लिंग: पुरुष / महिला / अन्य:
3. उम्र और जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें):
4. माता-पिता का नाम (पूरा):
5. क्या आप भारत के नागरिक हैं?
(क) जन्म से या
(ख) निवास के आधार पर?
यदि हाँ, तो भारतीय नागरिक बनने की तिथि:
6. जन्म की तारीख और स्थान, राजस्व जिले और राज्य का नाम:
7. वर्तमान व्यवसाय:
8. वर्तमान पता (पिन कोड सहित):
9. स्थायी पता (पिन कोड सहित):
10. उस पुलिस स्टेशन का नाम जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थायी पता आता है:
11. आधार नंबर
12. फ़ोन नंबर
(i) लैंडलाइन (STD कोड सहित):
(ii) मोबाइल फ़ोन नंबर:
13. ईमेल
14. रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान का विवरण:
15. सहबद्ध हेल्थकेयर योग्यता से पहले/अन्य शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण

शैक्षिक योग्यता	स्कूल/कॉलेज का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष
मैट्रिकुलेशन या समकक्ष			
सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष			
अन्य			

6. इंटरनशिप पूरी होने के बाद, सहबद्ध और हेल्थकेयर योग्यता के बारे में विवरण, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है (यदि इंटरनशिप लागू है)।

योग्यता का नाम	संस्थान/कॉलेज का नाम	संबंधित विश्वविद्यालय /प्राधिकरण	क्या यह योग्यता नियमित अध्ययन पद्धति से प्राप्त की गई है?	कोर्स की अवधि (इंटर्नशिप सहित)	इंटर्नशिप वाले अस्पताल/संस्थान का नाम और पता	प्रवेश की तिथि और उत्तीर्ण होने की तिथि

7. आवेदक जो कोई और टिप्पणी/जानकारी देना चाहता है:

घोषणा

ऊपर दी गई सभी जानकारी/तथ्य मेरी जानकारी, समझ और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो कानूनी परिणाम क्या होंगे।

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:

- आवेदन पत्र को साफ-सुथरे अक्षरों में सही ढंग से भरना चाहिए।
- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:
 - डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या प्रोविजनल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति (यदि डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र अभी विश्वविद्यालय/प्राधिकरण से प्राप्त नहीं हुआ है)। आवेदक को सत्यापन के लिए मूल डिग्री/डिप्लोमा या प्रोविजनल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि राज्य परिषद द्वारा किसी भी स्तर पर इसकी आवश्यकता हो। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, भले ही आवेदक का नाम पंजीकृत हो, तो अधिनियम की धारा 36 के अनुसार आवेदक का नाम हटा दिया जाएगा।
 - कॉलेज के प्रिंसिपल/डीन द्वारा जारी व्यावहारिक प्रशिक्षण (अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप- CRI) प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
 - राज्य परिषद द्वारा जारी मूल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र।
 - निवास प्रमाण पत्र।
 - दो हाल के पासपोर्ट साइज फोटो (सामने का दृश्य)।
 - आवेदन के साथ दिए गए दो सेल्फ-अडहेसिव स्लिप पर हस्ताक्षर।
- पंजीकरण शुल्क आवेदन के साथ जमा करना होगा, जो बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल फंड के नाम पर होगा।

Shubra
28/7/26

(राज्य परिषद का प्रतीक चिन्ह)

फॉर्म - ख
(नियम 29 देखें)

फोटो

नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन एक्ट, 2021 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 14, 2021) के सेक्शन 33(3) के तहत प्रमाणपत्र
बिहार राज्य एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल, बिहार, भारत

वेबसाइट:

ईमेल:

रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रेशन संख्या -----

नाम	
पुरुष/महिला/अन्य	
माता-पिता का नाम	
पिन कोड, ईमेल और मोबाइल नंबर सहित स्थायी पता	
रजिस्ट्रेशन की तारीख और स्थान	
पूर्ण नाम और संक्षिप्त नाम के साथ योग्यता	
अधिनियम की अनुसूची के अनुसार व्यावसायिक नाम और ISCO कोड	
डिग्री प्राप्त करने का वर्ष और महीना	

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल प्रोफेशनल रजिस्टर में ऊपर दिए गए नाम से संबंधित प्रविष्टियों की एक सही प्रति है।

दिनांक:

(मोहर) सचिव

बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल

नोट:

1. हर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने पते में किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत सेक्रेटरी को दें और सेक्रेटरी द्वारा इस संबंध में पूछे गए सभी सवालों का जवाब भी दें, ताकि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के रजिस्टर में उनका सही पता दर्ज किया जा सके।
2. यह सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा और इसे संबंधित पेशे के नियमों के अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा।

Shukla
28/2/26

(राज्य परिषद का प्रतीक चिन्ह)

फॉर्म - ग

(नियम 30 देखें)

फोटो

नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन एक्ट, 2021 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 14, 2021) की धारा 33(3) के तहत प्रमाणपत्र
बिहार राज्य एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल, बिहार, भारत

वेबसाइट:

ईमेल:

रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

(डुप्लीकेट)

प्रमाणपत्र संख्या -----

नाम	
पुरुष/महिला/अन्य	
माता-पिता का नाम	
पिन कोड, ईमेल और मोबाइल नंबर सहित स्थायी पता	
रजिस्ट्रेशन की तारीख और स्थान	
पूर्ण नाम और संक्षिप्त नाम के साथ योग्यता	
कानून की अनुसूची के अनुसार व्यावसायिक नाम और ISCO कोड	
डिग्री प्राप्त करने का वर्ष और महीना	

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल प्रोफेशनल रजिस्टर में ऊपर दिए गए नाम से संबंधित जानकारी की एक सही प्रति है।

दिनांक:

(मोहर) सचिव

बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल

नोट:

1. हर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को अपना पता बदलने की जानकारी तुरंत सेक्रेटरी को देनी चाहिए और सेक्रेटरी द्वारा इस संबंध में पूछे गए सभी सवालों का जवाब भी देना चाहिए, ताकि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के रजिस्टर में उनका सही पता दर्ज किया जा सके।
2. यह सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा और इसे संबंधित पेशे के नियमों के अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा।

Shruti
28/2/26

फॉर्म - घ
(नियम 31 देखें)

आवेदन फॉर्म

नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एक्ट, 2021 के सेक्शन 18 के तहत अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण

1. प्रोफेशनल का नाम :
2. मुख्य योग्यता का पंजीकरण नंबर :
3. मुख्य पंजीकृत योग्यता और उसे प्राप्त करने का वर्ष :
4. रजिस्टर में दिया गया पता और फ़ोन नंबर :
5. आधार नंबर :
6. ईमेल :
7. वर्तमान पता (बड़े अक्षरों में) पिन कोड और फ़ोन नंबर के साथ (यदि ऊपर नंबर 4 में दिए गए पते से अलग है) :
8. स्थायी पता (बड़े अक्षरों में) पिन कोड और फ़ोन नंबर के साथ (यदि ऊपर नंबर 4 में दिए गए पते से अलग है) :
9. आवेदन की गई अतिरिक्त योग्यता की जानकारी :

योग्यता का नाम	संस्थान/ कॉलेज का नाम	विश्वविद्यालय/ प्राधिकरण	क्या यह योग्यता नियमित अध्ययन पद्धति से प्राप्त की गई है?	कोर्स की अवधि (इंटर्नशिप सहित)	इंटर्नशिप वाले अस्पताल/संस्थान का नाम और पता	प्रवेश की तिथि और योग्यता प्रदान करने का महीना और वर्ष

तारीख:.....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है।

तारीख:

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
(नाम.....)

अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्देश

1. आवेदन पत्र सही और साफ-सुथरे ढंग से भरा जाना चाहिए।
2. प्रत्येक योग्यता के लिए शुल्क के रूप में 1500/- रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये) का गैर-वापसी योग्य बैंक ड्राफ्ट, बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल फंड के नाम से, आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। शुल्क ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।
3. डिग्री/डिप्लोमा प्रोविजनल सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रतियाँ (गजेटेड अधिकारी द्वारा) आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
4. आवेदन सीधे बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल के सचिव को भेजा जाना चाहिए।

नोट:

यह प्रमाणपत्र केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा जिनके पास मान्यता प्राप्त बुनियादी एलाइड हेल्थकेयर योग्यता है और बाद में उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसी पेशे की मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता या कोई अन्य योग्यता प्राप्त की हो।

Shukla
28/1/16.

फॉर्म - ड
(नियम 45 देखें)

वर्ष 20..... - 20..... के लिए बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट

1. प्रस्तावना ।
2. राज्य परिषद् के गठन का विवरण।
3. बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् का विवरण।
4. राज्य परिषद् के उद्देश्य।
5. राज्य परिषद् के कार्य।
6. अधिनियम की धारा 29 के तहत स्वायत्त बोर्ड - उसका गठन और कार्य आदि।
7. अधिनियम की धारा 31 के तहत सलाहकार बोर्ड और उसके कार्य।
8. विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के तहत प्रत्येक पेशे के संबंध में पाठ्यक्रम और अभ्यास के दायरे का मानकीकरण।
9. कार्य विभाजन।
10. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का पंजीकरण।
11. संस्थानों का मान्यता और रेटिंग।
12. बिहार में, विशेष रूप से सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा प्रणाली का विकास।
(क) विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज
(ख) फैकल्टी की संख्या
(ग) छात्रों की संख्या
(घ) स्नातक छात्रों की संख्या
(ङ) रोजगार आँकड़े (वर्तमान वर्ष में कार्यबल में वृद्धि, बेरोजगार छात्रों का प्रतिशत आदि)
(च) विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान विकास
(छ) संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त आँकड़े।
13. निजी संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटों के लिए शुल्क निर्धारण के लिए दिशानिर्देश।
14. सामान्य प्रवेश परीक्षा
15. एग्जिट-कम-लाइसेंसिंग परीक्षा
16. राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
17. स्वास्थ्य सेवा का मूल्यांकन, जिसमें राज्य में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन और स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और इसके विकास के लिए रोडमैप शामिल है।
18. वेबसाइट
19. कानूनी मामले
20. सतर्कता
21. सूचना का अधिकार
22. लेखा और स्थापना, जिसमें वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल है
23. प्रकाशन
24. विविध

दिनांक:

अध्यक्ष

सचिव

बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद्

व्याख्यात्मक नोट

(यह अधिसूचना का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य अधिसूचना का सामान्य अर्थ बताना है।)

नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन एक्ट, 2021 (केंद्रीय अधिनियम 14, 2021) के सेक्शन 68 के अनुसार राज्य सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसलिए, सरकार ने उक्त अधिनियम के सेक्शन 68 के तहत नियम बनाने का निर्णय लिया है।

इस अधिसूचना का उद्देश्य उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करना है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Bhutta 28/2/26

(छिरिड, वाई भूटिया)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-4 / विविध-06-50 / 2021... *242(GB)* / पटना, दिनांक- *23/02/2026*

प्रतिलिपि-ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सभा/परिषद् के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Bhutta 28/2/26

सरकार के विशेष सचिव।

Lawyer.